न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या– 902/2026

नरेश कुमार बनाम सोनिया आदि

04.06.2026

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया।

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव का सीधा सादा अमन पसन्द कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। विपक्षी नं.1 वर्तमान ग्राम प्रधान है तथा विपक्षी नं.3 ग्राम सचिव है, विपक्षी नं.2. विपक्षी नं.1 का पति है। विपक्षीगणो ने आपस में साज कर बेईमानी की नीयत से फर्जी कूटरचित कागजात अफसाना नाम की महिला का जॉब कार्ड बनवाया गया, जिसकी मनरेगा योजनान्तर्गत अलग अलग वर्षों में फर्जी तरीके से मास्टर रोल में उपस्थिति लगाकर पैसो का भुगतान करना दिखा कर सरकारी रूपया गबन करके स्वयं हडप किया है और धोखाधड़ी, बेईमानी की नीयत से फर्जी तरीके से सरकारी कागज में कूटरचना की गयी है जबकि अफसाना ग्राम पंचायत सरसीना के बिग्रेडियर कपिल मोहन त्यागी इण्टर कालिज में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है, जिसमें जांच के दौरान जांच अधिकारी ए.डी.ओ. ने यह भी पाया कि अफसाना का जॉब कार्ड संख्या यू.पी.–12–001–027001/174 बना है, जिसके द्वारा वर्ष 2023–24 में ही कार्यों पर 84 मानव दिवस का भुगतान 19320/– रूपये फर्जी तरीके से सरकार को गुमराह करके व धोखा देकर गबन किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2024–25 में सात कार्यों पर 56 मानव दिवस का भुगतान 13272/– रूपये फर्जी तरीके से किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यों पर 11 मानव दिवस के अनुसार 2772/– रूपये का फर्जी भुगतान किया गया है जबकि अफसाना ग्राम पंचायत सरसीना के बिग्रेडियर कपिल मोहन त्यागी इण्टर कालेज में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है, जांच के दौरान जांच अधिकारी ए.डी.ओ. (आई. एस. बी.) नागल बालेश कुमार व टी. ए. नागल सुरेन्द्र सिंह ने जांच की और अपनी जांच में बिन्दु सं.4 सही पाया गया है। प्रार्थी के अनुसार पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह की मृत्यु दिनांक 05.12.2024 को हो गयी थी जबकि पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह के नाम से दिनांक 03.06.2025 से दिनांक 10.06.2025 तक आठ मानव दिवस पर कार्य करने की फर्जी डिमाण्ड दिखायी गयी है। फर्जी डिमाण्ड के अनुसार पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह के नाम पर 02 मानव दिवसों का रूपया 504 का फर्जी भुगतान किया गया हे, इसकी जांच भी खण्ड विकास अधिकारी नागल ने सही मानी व अपनी जांच में जांच पत्र के पेज नं.2 पर बिन्दु–5 में इसका वर्णन किया। जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा की गयी शिकायत सही पायी गयी, पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह की मृत्यु दिनांक 05.12.2024 में होना पाया गया, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह के नाम पर फर्जी तरीके से 504 रूपये का भुगतान कर गबन किया गया, जबकि यह सारा रूपया विपक्षीगणो ने बेईमानी व धोखाधड़ी कर फर्जी कूटरचित कागज मास्टर रोल के आधार पर स्वयं गबन कर हडप किया है। विपक्षी नं.1 अपना सारा कार्य अपने पति विपक्षी नं.2 से विपक्षी नं.3 के साज से करती व कराती है विपक्षीगण ने आपस में एक आपराधिक षडयंत्र कर गिरोह बना रखा है और सरकार के साथ साथ गरीबो के हिस्से का धन हडप कर रहे है। भुगतान की ऑनलाइन छाया प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। विपक्षीगणों ने जालसाजी कर फर्जी कूटरचित षडयंत्र बनाकर सरकारी धन का गबन किया है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और गबन किये धन की वसूली भी होनी है। प्रार्थी के गवाहान धर्म सिंह पुत्र सतपाल, लक्ष्मी नारायण पुत्र फूल सिंह व मोहित पुत्र कुशलपाल हैं। इसके पश्चात प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को दिनांक 04.04.2026 को बजरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बंध में कोई भी मुकदमा थाने पर पंजीकृत नही है। प्रार्थी प्राइवेट मुकदमा लडने में असमर्थ है। मामला संज्ञेय अपराध का है और सरकारी कागजात में फोर्जरी करने का है तथा गबन किये गये रूपयों की वसूली का है, जो पुलिस कार्यवाही से ही संभव है। सारा साक्ष्य भी सरकारी अभिलेखो व कार्यालय में है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर विधिवत विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजे गये प्रार्थनापत्र की प्रति, मूल डाक रसीद, आधार कार्ड की छायाप्रति व अन्य प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाना हाजा की आख्यानुसार इस संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षी के रूप में राहुल ग्राम सचिव, हाल तैनात ब्लाक नागल, थाना नागल, तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर को नामित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या आहूत की गयी, किन्तु आख्या प्राप्त नहीं हुई। न्यायालय द्वारा अनेक बार अनुस्मारक भी भेजे गये उक्त के पश्चात भी आख्या प्राप्त नहीं हुई। आवेदक द्वारा पूर्व में की गयी शिकायतों के अनुक्रम में जांच अधिकारी ए.डी.ओ. (आई एस.बी.) नागल बालेश कुमार व टी.ए. नागल सुरेन्द्र सिंह ने जांच की और अपना जांच में बिन्दु संख्या 4 सही पाया गया जो इस प्रकार है कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार कि अफसाना नाम की महिला का जॉब कार्ड बनाया गया है। जिसकी मनरेगा योजनान्तर्गत अलग–अलग वर्षों में फर्जी तरीके से मास्टर रोल में उपस्थिति लगाकर भुगतान किया गया है जबकि अफसाना ग्राम पंचायत सरसीना के बिग्रेडियर कपिल मोहन त्यागी इन्टर कालेज में अध्यापिका के पद पर कार्य कर रही हैं। जांच के समय पाया गया कि अफसाना का जॉब कार्ड संख्या यू.पी.12009027–001/74 बना है। जिसके द्वारा वर्ष 2023–24 में 8 कार्यों पर 84 मानव दिवस का भुगतान 19320 रूपये फर्जी तरीके से किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में दो कार्य पर 11 मानव दिवस के अनुसार 2772 रूपये का फर्जी भुगतान किया गया है। जबकि अफसाना ग्राम पंचायत सरसीना में बिग्रेडियर कपिल मोहन त्यागी इंटर कालेज में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 5 पर अंकित है कि शिकायत कर्ता के अनुसार पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह की मृत्यु दिनांक 05.12.2024 को हो गयी थी जबकि पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह के नाम से दिनांक 03.06.2025 से दिनांक 10.06.2025 तक 8 मानव दिवस पर कार्य करने की फर्जी डिमांड दी गयी है। उनकी फर्जी डिमांड के अनुसार पप्पू सिंह पुत्र जेल्लू सिंह के नाम पर दो मानव दिवसो का रूपये 504 का फर्जी भुगतान किया गया है। जांच के समय पाया गया कि शिकायतकर्ता का कथन सत्य है कि श्री पप्पू पुत्र जेल्लू सिंह की मृत्यु दिनांक 05.12.2024 में हो गयी थी। जिसका मृत्यु प्रमाणपत्र साथ में संलग्न है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध बेईमानीपूर्वक फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन का गबन करने, फर्जी जॉब कार्ड बनवाने व धोखाधडी करने के आरोप लगाये गये हैं। आवेदक द्वारा पूर्व में की गयी शिकायतों के क्रम में की गयी जांच में आवेदक के कथन सत्य पाये गये हैं। विपक्षीगण द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचना करते हुए मनरेगा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाक्रम के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है, जिसकी विवेचना कराकर ही विधिक निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय निर्णय दिनांकित 19–03–2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2001 (45) ए0सी0सी0 50 पूर्ण पीठ** व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा पारित **विनिर्णय रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50** एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जरनल पेज 472** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं प्रस्तुत मामलें के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामलें के सत्य के अन्वेषण हेतु विवेचना कराया जाना न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थी **नरेश कुमार** का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज करके विधिनुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अन्दर एक सप्ताह न्यायालय को अवगत कराये। तदनुसार फौजदारी लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० की प्रतिलिपि को अनुपालन हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(मिनाक्षी सिन्हा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर